

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उपप्रो शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उपप्रो, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 दिसम्बर, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पशु रोग नियंत्रण योजना (60 प्रति0के0पो0) (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-430/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-सामान्य/2022-23, दिनांक-21.11.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन निम्नलिखित लेखाशीर्षक/मानक मदों में कुल ₹0-2436.66 लाख (रूपये चौबीस करोड़ छत्तीस लाख छ्छठ हजार मात्र) (केन्द्रांश ₹0-1462.00 लाख+राज्यांश ₹0-974.66 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवार्य तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0205-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
04-यात्रा व्यय	18.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	18.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	27.00
29-अनुरक्षण	3.60
39-औषधि तथा रसायन	964.60
42-अन्य व्यय	60.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	360.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.60
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7.20
योग-	1462.00
2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवार्य तथा पशु स्वास्थ्य-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-पशु रोग नियंत्रण योजना	
04-यात्रा व्यय	12.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00
29-अनुरक्षण	2.40
39-औषधि तथा रसायन	643.06
42-अन्य व्यय	40.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	240.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.40
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.80

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

योग-	974.66
महायोग-	2436.66

(रूपये चौबीस करोड़ छत्तीस लाख छ्छठ हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (3) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.11.2022 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
- (5) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
- (6) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (7) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्यय)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2403001010205 (पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.))

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	04 यात्रा व्यय	18,00,000 (रूपये अठारह लाख मात्र)
2 015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	18,00,000 (रूपये अठारह लाख मात्र)
3 015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	27,00,000 (रूपये सत्ताईस लाख मात्र)
4 015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	29 अनुरक्षण	3,60,000 (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
5 015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	39 औषधि तथा रसायन	9,64,60,000 (रूपये नौ करोड़ चौंसठ लाख साठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	42 अन्य व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
7	015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)
8	015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)
9	015	2403001010205 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7,20,000 (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			14,62,00,000 (रुपये चौदह करोड़ बासठ लाख मात्र)

लेखाशीर्षक: 2403001018904 (पशु रोग नियंत्रण योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	04 यात्रा व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
2	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
3	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
4	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	29 अनुरक्षण	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
5	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	39 औषधि तथा रसायन	6,43,06,000 (रुपये छह करोड़ तैंतालीस लाख छह हजार मात्र)
6	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	42 अन्य व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
7	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,40,00,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र)
8	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
9	015	2403001018904 पशु रोग नियंत्रण योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,80,000 (रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			9,74,66,000

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये नौ करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र)
--	--	--	--	--

महायोग				24,36,66,000 (रुपये चौबीस करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार मात्र)
---------------	--	--	--	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-294-X-2022-23, दिनांक-09.12.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

प्र0सं0-121/2022/2386(1)/सैंतीस-2-2022-1(77)/03टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।